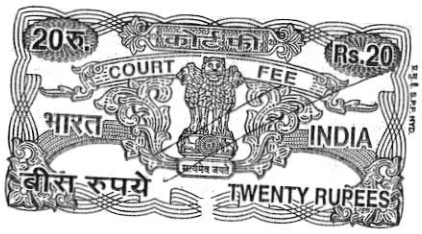

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

74

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी R-1-I-17

मनफूली बाई पत्नी मोहनलाल जोशी निवासी– क्यारपुरा, तहसील श्योपुर, हाल निवासी– पी.एच.ई. स्टोर के पास, पाली रोड़ श्योपुर जिला– श्योपुर (म.प्र.)

..........आवेदिका

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 31-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
918 / 31-12-16

31-12-16

बनाम

1. म.प्र. शासन — मूल अनावेदक
2. रामवीर सिंह
3. रामसहाय सिंह दोनों पुत्रगण हरगोविन्द सिंह जाति– ठाकुर, निवासी– ग्राम सेमल्दा तह. श्योपुर, जिला– श्योपुर (म.प्र.)
4. जनकसिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी– ग्राम सेमल्दा, हाल निवासी– ग्राम तिल्लीडेरा तहसील श्योपुर जिला–श्योपुर (म.प्र.)

तरतीबी ..अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2016 द्वारा पारित अपर कलेक्टर श्योपुर प्रकरण क्रमांक 23/2006–07 स्वमेव निगरानी।

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है –

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, आवेदिका द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय, तहसीलदार मानपुर जिला श्योपुर के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 169, 190 सहपठित धारा 110 के तहत दिनांक 10.01.2000 को आवेदन पत्र प्रस्तुत

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

निगरानी प्रकरण कमांक 01–एक/2017 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस
6-1-17	यह निगरानी अपर कलेक्टर, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 23/2006–07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–12–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्रीमती मनफूली वाई पत्नि मोहनलाल जोशी निवासी ग्राम क्यारपुरा ने नायव तहसीलदार श्योपुर के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम क्यारपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 263 रकबा 0.46 हैक्टर, सर्वे कमांक 281 रकबा 0.38 हैक्टर, सर्वे कमांक 287 रकबा 0.91 हैक्टर, सर्वे कमांक 288 रकबा 0.34 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 2.09 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 364 रकबा 0.46 हैक्टर, सर्वे कमांक 365 रकबा 0.28 हैक्टर, सर्वे कमांक 366 रकबा 0.43 हैक्टर, सर्वे कमांक 367 रकबा 0.25 हैक्टर, सर्वे कमांक 373 रकबा 0.67 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर उसका आधिपत्य है एंव खेती करते आ रही है, किन्तु यह भूमि शासकीय अभिलेख में अनावेदकगण क. 2 से 4 के नाम दर्ज चली आ रही है इसलिये लम्बे समय से खेती करने के कारण भूमि उनके नाम दर्ज की जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 6/99–2000 अ–46 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई	

कर आदेश दिनांक 9–4–2000 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि श्रीमती मनफूली वाई पत्नि मोहनलाल जोशी निवासी ग्राम क्यारपुरा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 23/2006–07 स्वमेव निगरानी में पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 26–12–2016 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 9–4–2000 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री पीके0के0तिवारी , मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला तथा अनावेदक जनक सिंह पुत्र हीरा सिंह के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदकगण ग्राम सेमल्दा के रहने वाले हैं एंव वादग्रस्त भूमि ग्राम क्यारपुरा में है जिसके कारण भूमि पर अनावेदकगण को खेती करने में असुविधा थी उन्होंने आवेदक को महिला होने एंव उसके बाल–बच्चों के भरण पोषण की स्थिति को ध्यान में रखकर एकमुस्त नजराना रकम लेकर मौरूषी कृषक के रूप में भूमि जुतवा दी थी, जिसके कारण आवेदक को मौरूषी कास्तकार के अधिकार उत्पन्न होने से नायव तहसीलदार को आवेदन देकर नामान्तरण की मांग की थी। नायव तहसीलदार का आदेश 9–4–2000 का है जिसे अपर कलेक्टर ने

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 01–एक/2017 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के

16 वर्ष वाद आदेश दिनांक 26–12–2016 से निरस्त किया है इस प्रकार अपर कलेक्टर ने अनुचित विलम्ब से स्वमेव निगरानी की है। शासन के पैनल लायर ने बताया कि अपर कलेक्टर को जब आदेश की जानकारी मिली, सही समय पर स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व की गई है।

पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने से स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार के आदेश दि0 9–4–2000 को 16 वर्ष वाद निरस्त किया है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 – जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा–50– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग – पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किस उपबंध के उल्लॅघन के विषय में जानकारी में कब आया – 180 दिवस से वाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।**

स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी की शक्तियों का उपयोग अत्याधिक विलम्ब से किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कमांक 23/2006–07 स्वमेव निगरानी के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर

कलेक्टर ने आदेश दिनांक 26-12-16 में नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने के लिये यह आधार लिया है कि-

प्रकरण में भूमिस्वामी व्दारा न तो गैर पुनरीक्षणकर्ता क-1 से किसी कीमत की मांग की गई न कोई धन या अन्य मूल्यवान वस्तु हेतु अनुबंध किया गया।

इस सम्बन्ध में नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 6/99-2000 अ-46 , जो आवेदक के आवेदन पर आधारित है इस आवेदन का पद 2 इस प्रकार है :-

" यह कि विवादित भूमि आज से 5 साल पूर्व 40,000/- रूपये चालीस हजार प्रतिफल प्राप्त करके 5 साल के लये अनुज्ञात की थी, तभी से आवेदक विवादित भूमि पर निरंतर काविज होकर लगान देता चला आ रहा है। "

उक्त सम्बन्ध में नायव तहसीलदार व्दारा जॉच उपरांत जो निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है :-

" आवेदिका ने साक्ष्य में अपना एंव साक्षी रामसेवक सिंह पुत्र गणेशसिंह जाति ठाकुर निवासी तिल्लीडेरा वगदिया तथा कश्मीरीलाल पुत्र फकीर चंद जाति ओड निवासी क्यारपुरा के कथन कराये तथा मौजा पटवारी का कथन भी लिया गया। साक्षियों ने अपने कथनों में आवेदक के आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गई तथा मौजा पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विवादग्रस्त आराजी पर कागजात में अनावेदकगणों का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है किन्तु उसने लगातार गस्त के समय आवेदिका को कास्त करते देखा व पाया है। आवेदक व्दारा ही लगान अदा किया जाता है। "

स्पष्ट है कि मौके पर वादग्रस्त भूमि पर आवेदक कृषि करती आ रही है तथा लगान भी उसके व्दारा निरन्तर शासन मद में दिया जाता रहा है। नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत मूल दावे के पद 2 में मूल भूमिस्वामियों को 40,000/- एकमुस्त

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

निगरानी प्रकरण कमांक 01–एक/2017 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह

लगान देकर भूमि मौरूषी कास्तकारी पर लेने का उल्लेख है इसके वाद भी अपर कलेक्टर का यह लिखना कि **गैर पुनरीक्षणकर्ता क–1 से किसी कीमत की मांग की गई न कोई धन या अन्य मूल्यवान वस्तु हेतु अनुबंध किया गया** – प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत है और आभाषित है कि अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों का भलीभॉति अवलोकन तक नहीं किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 168, 190 में कृषकों की सुविधा के लिये व्यवस्थायें दी गई है ऐसा प्रतीत होता है कि अपर कलेक्टर ने संहिता की धारा 168 एंव 190 की मूल–भावना को न समझते हुये विपरीत अर्थ निकाल कर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–4–2000 को 16 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी प्रकरण में निरस्त किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 23/06–07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–12–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव नायव तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 06/1999–2000 अ–46 में पारित आदेश दिनांक 09–04–2000 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य